सार समाचार

बलात्कार के आरोपियों को फांसी देने की मांग

बड़ी सादड़ी (प्रातःकाल संवाददाता)। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिका के साथ बीकानेर में दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर सेन समाज उत्थान संस्थान बड़ी सादड़ी आवरी माता चौखला एवं सेन समाज बड़ी सादड़ी नगर द्वारा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर सेन समाज उत्थान संस्थान के अध्यक्ष उदयलाल , करसाना कालू लाल सांगरिया राजेंद्र पन्नालाल पिंटू भगवती लाल गोपाल सचिव सोहनलाल सेन भानुजा आदि उपस्थित थे।

ओवरलोड़ वाहन के खिलाफ कार्यवाही

डूंगरपुर (प्रातःकाल संवाददाता)। जिले में त्योहारों के मद्देनजर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चौरासी पुलिस ने एक ओवरलोड वाहन पर कार्रवाई की है। चौरासी थाना क्षेत्र में एक कुजर वाहन को जब्त कर उसके चालक के खिलाफमामला दर्ज किया गया है। डूंगरपुर-सीमलवाड़ा मुख्य मार्ग पर सालमपुरा-गैजी गांव के पास की गई। पुलिस ने क्रुजर वाहन के चालक राजू कोटेड को वाहन की छत पर सवारियां बिठाकर तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए पाया। पुलिस के अनुसार,चालक की इस हरकत से मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसके चलते वाहन को नियमानुसार जब्त कर चालक के खिलाफसंबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। गिरफ्तार चालक की पहचान राजू पुत्र हकरा कोटेड़ निवासी नलवा,पुलिस थाना सदरए जिला डूंगरपुर के रूप में हुई है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस कार्यवाही को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला और वृत्ताधिकारी सीमलवाड़ा मदनलाल विश्नोई के निकट पर्यवेक्षण में अंजाम दिया गया।

सीएलजी की बैठक

देवगढ़ (प्रातःकाल संवाददाता)। देवगढ़ देवगढ़ थाना परिसर में होली, धुलेंडी, शितला सप्तमी, ईद एवं अन्य पर्वो को लेकर मंगलवार शाम को भीम डीएसपी राकेश वर्मा एवं थानाधिकारी मुकेश चौधरी की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने होली सहित अन्य सभी पर्वो को आपसी भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया। सीएलजी सदस्यों ने तीन बत्ती चौराहे से मारू दरवाजा तक यातायात व्यवस्था सुचारू रखने की शिकायत की। इस पर अधिकारियों ने व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने आश्वासन दिया। इस दौरान सीएलजी सदस्य एवं पुलिस स्टाफ मौजूद थे।

कमेरी में उपखंड स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक का आयोजन

देवगढ़ (प्रातःकाल संवाददाता)। उपखंड स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार को महाबली दानी पन्नाधाय पैनोरमा, कमेरी में देवगढ़ उपखंड अधिकारी मोहकम सिंह सिनसिनवार की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान देवगढ़ तहसीलदार सज्जनराम चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पैनोरमा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, भवन के आवश्यक रेनोवेशन/मरम्मत कार्य कराने तथा आमजन में स्थल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिए गए। समिति द्वारा पैनोरमा को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं बेहतर करने पर सहमति व्यक्त की गई। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

रेलवे भूमि अवाप्ति से संबंधित काश्तकारों के भूमि के ड्राफ्ट अवार्ड तैयार

देवगढ़ (प्रातःकाल संवाददाता)। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ मोहकम सिंह सिनसिनवार ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) रेल मंत्रालय (उत्तर पश्चिम रेल्वे) भारत राजपत्र अधिसूचना 2025 के अनुसार नाथद्वारा-देवगढ मदारिया आमान परिवर्तन की विशेष रेल परियोजना के लिए उपखण्ड क्षेत्र देवगढ़ के ग्राम देवगढ़, मोयणा, दोला जी का खेडा, कुआंथल एवं डाला का खेडा के रेल्वे भूमि अवाप्ति से संबंधित काश्तकारों को सूचित किया जाता है कि उक्त रेल्वे परियोजना में अधिग्रहण की जा रही भूमि के ड्राफ्ट अवार्ड तैयार किये जा चुके है।

यदि किसी हितधारी को कोई आप्पति हो तो उपखण्ड कार्यालय देवगढ़ में सात कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। अवधि समाप्ति के बाद अंतिम रूप से भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सैनी चौथी बार बने फूल माली समाज के अध्यक्ष

नाथद्वारा (प्रातःकाल संवाददाता)। नगर के फौज मोहल्ला स्थित फूल माली समाज की हवेली में फूल माली समाज की वार्षिक बैठक संपन्न हुई जिसमें महामंत्री मदनलाल वनेटीया द्वारा वर्ष भर का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। आम सभा में विभिन्न नवाचारों पर चर्चा कर समाज के कई महत्वपूर्ण नियमों में समय अनुसार परिवर्तन किए। आम सभा में भामाशाह शंभूलाल तुरकलिया द्वारा हवेली में करवाए गए परिवर्तन परिवर्धन कार्य हेतु एवं मांगीलाल वागडी को श्रेष्ठ सेवा कार्य हेतु सम्मानित किया। चर्चा के बाद गोवर्धन लाल सैनी द्वारा वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर चुनाव संपन्न कराने हेतु चुनाव अधिकारी हरिनारायण डाबी एवं बालमुकुंद तुरकलिया को सदन सुपुर्द किया। सदस्यों द्वारा सैनी को पुनः अध्यक्ष बनाने की मांग की गई जिस पर चुनाव अधिकारी द्वारा सर्वसम्मति से चौथी बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा मदनलाल वनेटिया को सर्वसम्मति से महामंत्री तथा मांगीलाल वागडी को बहुमत से हवेली प्रभारी चुना गया। आमसभा में समाज के सभी वरिष्ठ जन और समाज के 307 परिवारों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी संजय गोयल ने दी।

कार्यालय नगर परिषद, राजसमंद
जिला राजसमंद

क्रमांक :- नपरा/भूमि/श.से.शि./2025-26/9397
दिनांक : 18/02/2026

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्री भरत भूषण सनाढ्य पिता गोपाललाल सनाढ्य नि. रेती मोहल्ला कांकरोली तह. व जिला द्वारा पुश्तैनी आवासीय मकान भूखण्ड क्षेत्रफल 706.40 वर्गफीट है। जिसका पट्टा बनवाना चाहते हैं। जिसके पड़ौस निम्नानुसार है :

पूर्व	:-	रोड
पश्चिम	:-	पंकज शर्मा का मकान
उत्तर	:-	हीरालाल पालीवाल का मकान
दक्षिण	:-	बोल्या समाज का उपासरा

उक्त पुश्तैनी मकान पट्टा हेतु यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अपनी लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त- नगर परिषद राजसमंद

सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा पक्षकार हितेष पाटीदार पिता श्री कुरीया पाटीदार निवासी निचली मोरडी जिला बासंवाड़ा राजस्थान है तथा मेरे पक्षकार के नाम से एक दस्तावेज हक त्याग विलेख पंजीयन संख्या 202503366100694 दिनांक 09.12.2025 है, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड सं. 773042934360 में मेरे पक्षकार का नाम धुला पिता श्री कुरीया अंकित है। मेरे पक्षकार को हितेष पाटीदार व धुला पाटीदार से जाना व पहचाना जाता है एवं दोनो ही नाम मेरे पक्षकार के हैं उक्त नाम को लेकर कोई विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरे पक्षकार की रहेगी।

इस प्रकार सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उक्त संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो उक्त प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करे तथा उक्त अवधि के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा बैंक से ऋण की कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक : 24.02.2026 **आनन्दराज सिंह**
एडवोकेट
बांसवाड़ा, मो. 9413281917

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा स्थान)

572/ 23.02.2026
मुकदमा नंबर 17/2026 (धारा-17)

चूंकि श्री नरेन्द्र कुमार पंचोली, सदर बाजार, खैरवाड़ा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत श्री दिगम्बर जैन दशा हुमड़ समाज ट्रस्ट, खेरवाड़ा के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 23/02/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 29/04/2026

मुहर
(दीपिका मेघवाल)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलक्टर ने लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की दी चेतावनी

बांसवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव ने लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने स्पष्ट कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कार्य नहीं करने वाले कार्मिकों को नोटिस देकर नियमानुसार सेवा मुक्त करने की कार्यवाही की जाए। वे जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मां योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक क्लेम बुक करने, संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिये अस्पतालवार लक्ष्य निर्धारित करने तथा लाडो योजना के तहत शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही आशा, एएनएम एवं सीएचओ द्वारा फील्ड विजिट को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि यदि टीबी से किसी मरीज की मृत्यु होती है तो उसकी संपूर्ण केस स्टडी तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि मरीज से लेकर अस्पताल तक उपचार श्रृंखला में जुड़े प्रत्येक कार्मिक की समीक्षा आवश्यक है ताकि कमियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

उन्होंने मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कूपन जनरेट होने के बाद शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए निरंतर फॉलोअप करने के निर्देश दिए। साथ ही मां योजना में आईपीडी की तुलना में अधिक से अधिक क्लेम बुक करने पर बल दिया। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत सज्जनगढ़ ब्लॉक को शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण की तैयारी करने तथा अन्य स्थानों पर भी लक्ष्य अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए वहीं सिकल सेल पॉजिटिव मरीजों की नियमित काउंसलिंग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। सीएमएचओ डॉ. खुशपाल सिंह राठौड़ ने सभी चिकित्सा संस्थानों में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए फरवरी माह तक आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की समुचित व्यवस्था, बिजली बैकअप, पंखों का संचालन, ओआरएस की उपलब्धता तथा आपातकालीन दवाओं एवं उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

15 इंडिकेटर्स पर होगी सीएचओ की समीक्षा

एडिशनल सीएमएचओ डॉ. भरत मीणा ने बताया कि मां योजना में 1 करोड़ 17 लाख से अधिक केस बुक किए जा चुके हैं। उन्होंने एनीमिया मुक्त अभियान एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की भी समीक्षा की। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. राहुल डिंडोर ने एनसीडी कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि सीएचओ की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा 15 इंडिकेटर्स के आधार पर की जाएगी। सेल की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

चारागाह भूमि पर हो रहा है अतिक्रमण का खेल

सागवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। क्षेत्र में इन दिनों सरकारी और चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का खेल किसी महामारी की तरह फैल रहा है। नगर पालिका सीमा सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में 'बिना नाम' की जमीनों, सरकारी भूमि और पशुओं के लिए आरक्षित चरागाह भूमि पर भू-माफियाओं के अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं। विडंबना यह है कि जिस प्रशासन के कंधों पर इन संपत्तियों की रक्षा का जिम्मा है, वह गहरी नींद में सोया हुआ है। सरकारी तंत्र की इसी लापरवाही ने मंगलवार को अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि उन्हें न तो कानून का खौफ है और न ही कार्रवाई का डर। क्षेत्र के ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों का आरोप है कि भू-माफियाओं और रसूखदारों ने सांठगांठ कर बेशकीमती जमीनों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। कहीं रातों-रात दीवारें खड़ी की जा रही हैं, तो कहीं चरागाह भूमि का स्वरूप बदलकर उसे व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इसकी सूचना स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारियों और नगर पालिका प्रशासन को होने के बावजूद, फाइलों को दबाकर रखा जा रहा है। प्रशासन की यह चुप्पी कहीं न कहीं उनकी मिलीभगत की ओर इशारा कर रही है। साथ ही चरागाह भूमि पर अतिक्रमण होने से सबसे बुरा असर मवेशियों पर पड़ रहा है। चारे के लिए आरक्षित जमीनों के सिमटने से पशुपालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन केवल कागजों पर नोटिस जारी करने की खानापूर्ति करता है, जबकि धरातल पर एक इंच जमीन भी मुक्त नहीं कराई जा रही। यह 'अंधेर नगरी-चौपट राजा' वाली स्थिति सागवाड़ा की पहचान बनती जा रही है। आमजन में आक्रोशः कब जागेगा प्रशासन? अतिक्रमणकारियों की इस दबंगई से आम जनता में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन अवैध कब्जों को नहीं रोका गया, तो भविष्य में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक टुकड़ा जमीन भी शेष नहीं बचेगी। प्रशासन की ढिलाई अब आमजन के सब्र का इम्तिहान ले रही है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े जनांदोलन का इंतजार कर रहा है या फिर भ्रष्टाचार की चादर ओढ़े इसी तरह मौन साधे रहेगा।

लोहारिया तालाब के पास चला पीला पंजा, पालिका ने हटाए अवैध अतिक्रमण

सागवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के संकल्प के साथ नगर पालिका प्रशासन इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहा हैं। नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे विशेष अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत मंगलवार को शहर के लोहारिया तालाब क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पालिका की इस सक्रियता से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद सुहैल शेख के सख्त निर्देशों के बाद पालिका की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची। अतिक्रमण शाखा प्रभारी अमृतलाल मीणा के नेतृत्व में सहायक प्रभारी पंकज शर्मा, जगदीश सेवक और खुशीत त्रिवेदी की टीम ने लोहारिया तालाब के आसपास सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी ने यह सुनिश्चित किया कि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार का विरोध न हो सके। कार्रवाई के दौरान पालिका प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अतिक्रमणकारियों को भविष्य के लिए कड़े शब्दों में पाबंद किया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा सार्वजनिक संपत्ति या सड़क किनारे अतिक्रमण किया गया, तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर पालिका प्रशासन ने इस अभियान के माध्यम से आमजन और व्यापारियों को भी संदेश दिया है। पालिका ने अपील की है कि शहर की स्वच्छता और सुव्यवस्था को बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण से न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि शहर की सुंदरता पर भी दाग लगता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि सागवाड़ा को एक आदर्श और व्यवस्थित शहर बनाया जा सके।

पंख महिला सशक्तिकरण सिलाई केंद्र का समापन एवं नवीन सत्र का शुभारंभ

फतहनगर (प्रातःकाल संवाददाता)। विकल्प संस्थान के सहयोग से संचालित पंख महिला सशक्तिकरण सिलाई केंद्र के पूर्व सत्र का समापन एवं नवीन सत्र का शुभारंभ कार्यक्रम गोर्धन वाटिका में आयोजित किया गया। यह सिलाई केंद्र विगत दो वर्षो से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कस्बे में संचालित किया जा रहा है। अब तक इस केंद्र के माध्यम से 500 से अधिक महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। मुख्य अतिथि जगन्नाथ सिंह (उप निरीक्षक), विशिष्ट अतिथि हेमा देवड़ा (वार्ड पार्षद, नगर पालिका), ऋतु अग्रवाल (जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा भाजपा) एवं बेला अग्रवाल (प्रधानाचार्या) उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता उषा चौधरी (निदेशक, विकल्प संस्थान) ने की।

बिजली बन्द रहेगी

नाथद्वारा (प्रातःकाल संवाददाता)। क्षेत्र के 132 केवी जीएसएस नाथुवास नाथद्वारा पर आवश्यक रख-रखाव का कार्य होने से 33 केवी फीडर से जुड़े नाथद्वारा, गुंजोल, खमनोर, बाघेरी का नाका से जुड़े क्षेत्रों नाथद्वारा शहर, बाघेरी का नाका, गुंजोल, धायला, कोठारिया, सिसोदा, सायों का खेड़ा, बागोल, टाटोल, खमनोर, उनवास, बलीचा, मोलेला, परावल, सलोदा, डाबून, सगरूण, फतेहपुर, मचींद, भाणुजा, गॉवगुड़ा, झालों की मंदार सहित अन्य सभी पंचायतों में विद्युत आपूर्ति दोपहर 2 से सांय 5 .30 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

कार्यालय नगरपालिका फतहनगर- सनवाड़, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- न.पा.फ.स./ 2025-26/ 4376 दिनांक : 10/02/2026

उजरदारी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित स्वयं के पुश्तैनी एवं खरीदशुदा मकान/ भूखण्ड का उपविभाजन चाहा गया है। इस बाबत अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस ऊजरदारी सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के नगरपालिका कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी तथा उपविभाजन जारी संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	आवेदनकर्ता का नाम	मूल पट्टाधारी/ योजना एवं भूखण्ड संख्या	स्थित मकान/भूखंड के पड़ौस: पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	क्षेत्रफल वर्गफीट
1.	श्री कैलाशचन्द्र अग्रवाल पिता श्री जगदीशचन्द्र जी निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)	श्री गोवर्धनलाल पिता श्री लच्छीराम जी खटीक एवं श्रीमती धनकी पत्नी श्री लच्छीराम जी खटीक निवासी फतहनगर योजना गोवर्धन वाटिका के पास फतहनगर, भूखंड संख्या NIL क्षेत्रफल 5080 वर्गफीट में से 3040 वर्गफीट	भूखंड का शेष भू भाग	गोवर्धनलाल खटीक का भूखण्ड	आम रास्ता	अन्य कृषि भूमि	3040 वर्गफीट

अधिशाषी अधिकारी- नगरपालिका फतहनगर सनवाड़

84 लाख की सड़क बनते ही कुछ महीने में खराब

सोमावत से डूंगरा सड़क के घटिया निर्माण की उपखंड अधिकारी को शिकायत

खेरवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। मजदूर किसान हक संगठन ने उपखंड अधिकारी ऋषभदेव को ग्रामवासियों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर सोमावत से डूंगरा सड़क के घटिया निर्माण की शिकायत की तथा सड़क के दोनों तरफ पक्की नाली बनाकर सड़क की मरम्मत करने की मांग की। मजदूर किसान हक संगठन के शांतिलाल अहारी ने बताया कि सोमावत नाल से बलुआ जाने के लिए केसरिया जी होकर जाना पड़ता था । इस सड़क की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जागरूक युवा संगठन ने इस सड़क निर्माण के लिए अभियान चलाया था उसके बाद 84 लाख रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैकेज न. आरजे-32-डब्ल्यू-बी-93 के तहत 4 कि.मी. लम्बी सड़क 5 वर्ष की गारंटी अवधि के साथ 2022 में ए ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई थी। चंदू लाल ने बताया कि इस सड़क का घटिया निर्माण होने, दोनों तरफ पक्की नाली का निर्माण नहीं होने और माप दंड में नहीं बनने के कारण शीघ्र ही टूट गई तथा लगभग हर साल मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति की गई। युवराज ने बताया कि इस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए है।कंक्रीट निकल गई है पूरी तरह से टूट चुकी है जिससे वाहनों के आने-जाने में परेशानी हो रही है।

प्रतिनिधि मंडल में मजदूर किसान हक संगठन के सचिव शांतिलाल बद्रीलाल, चंदूलाल, लक्ष्मण लाल नाना भगत शामिल थे।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.03.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा। हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है। जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी। नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी।

गिरवियों की सूची :
उदयपुर, प्रताप नगर उदयपुर, 114260730021756,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

तुलसी साधना शिखर साधना के लिए विशेष प्रभावशाली : मुनि प्रसन्न कुमार

राजसमन्द (प्रातःकाल संवाददाता)। शतावधानी मुनि संजय कुमार के सानिध्य में मुनि प्रसन्न कुमार, प्रकाश कुमार, सिद्ध प्रज्ञ एवं मुनि प्रीत कुमार के निर्देशन में शहर के तुलसी साधना शिखर पर विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान एवं जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग चल रहे हैं।

शिविर के दौरान आयोजित संगोष्ठी में मुनि प्रसन्न को करने कहा कि किसी भी साधन और सिद्धि के लिए द्रव, क्षेत्र, काल और भाव का योग जरूरी है। उन्होंने कहा कि द्रव यानी मंत्र और क्षेत्र यानी स्थान, काल समय, भाव की शुद्धि। उन्होंने कहा कि तुलसी साधना शिखर एवं अनु विभाग का स्थान साधना के लिए विशेष प्रभावशाली है। क्षेत्र का मेग्नेटिव पावर अर्थात गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अ%छा है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे प्रभावशाली स्थान बहुत हैं, लेकिन उनका उपयोग दर्शनीय और मनोरंजन तक ही रह गया है। साधक अनुभवी लोग ही इन स्थानों का लाभ लेते रहे हैं। अरविंद ने उत्तर भारत से दक्षिण में पांडिचेरी जाकर साधना की थी। उन्होंने कहा कि राजनगर कांकरोली क्षेत्र के लिए तो यह दुर्लभ स्थान है क्योंकि यहां सो दवा की जगह शुद्ध हवा मुफ्त मिलती है। ऊंचाई पर ग्रेविटेशन अच्छा बनता है। सूर्योदय से पहले इस स्थान पर मेलाटोनिन, सेलाटोनिन नमक द्रव्य पदार्थ शरीर साधना में बड़ा उपयोगी होता है। ऐसे में जो लोग दिए थे उठाते हैं वह इन लाभों से वंचित रहते हैं और बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। मुनि के सानिध्य में आगामी 25 फ रवरी तक सवेरे 4 से रात 9 बजे तक साधना, जप कायोत्सर्ग के विभिन्न प्रयोग हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी शाम मौसम में ऐसे स्थान पर के कायोत्सर्ग ध्यान से तनाव छू-मंतर हो जाता है।

रिफंड दिलाने का बहाने अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले 12 गिरफ्तार, एक युवती भी शामिल

4 लेपटॉप, 14 मोबाइल व 2 वाहन जब्त

उदयपुर (कार्यालय संवाददाता)। जिले की गोगुन्दा पुलिस एवं डीएसटी पुलिस टीम ने अमेरिकी नागरिकों की सारी जानकारी प्राप्त कर उन्हें रिफंड दिलाने का झांसा देकर उनसे डॉलर में ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 1 युवती सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस टीम ने 4 लैपटॉप, 14 फोन और 2 वाहन जब्त किए है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिले भर के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया था। पुलिस कार्यवाही के दौरान गोगुन्दा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण व स्पेशल टीम प्रभारी को सूचना मिली कि न्यू मेवाड काठियावाडी होटल कुमावतो का गुडा गोगुन्दा में सनसेट एडवेन्चर नामक कंपनी के 10-12 व्यक्ति यों द्वारा मिलकर अमेरिका के नागरिकों की व्यक्ति गत जानकारी (मोबाइल नम्बर, नाम व पते प्राप्त कर अमेरिकन नागरिकों को इंटरनेट कॉल व मैसेज कर उनको एप्पल कम्पनी के प्रोडक्टस पर अतिरिक्त चार्ज लगने का बताकर अतिरिक्त चार्ज का रिफण्ड दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर डॉलर में राशि प्राप्त की जा रही है, जिस पर टीम ने कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने होटल पर रात्रि के समय दबिश दी। टीम द्वारा मौके से पूछताछ के बाद शाहरूख मोहम्मद शेख पुत्र मोहम्मद शरीफ मंसूरी निवासी शुबा खान शेरी केलावाली मस्जिद के पास जमालपुर अहमदाबाद गुजरात, चेतन सिंह सिकरवार पुत्र हरिसिंह निवासी भोलानगर की चाली संजय चौक अमरई बाडी अहमदाबाद गुजरात, करण कुमार पुत्र मनोज कुमार मीणा निवासी शिव शक्ति नगर सांचोर जालोर, मिलन पुत्र विपिन जोशी निवासी मालवाडा चितलवाना सांचौर जालौर, प्रवीण कुमार पुत्र तुलछाराम मीणा निवासी भीलो की ढाणी विरोल छोटी सांचौर हाल शिव शक्ति नगर सांचौर जालौर हाल सनसेट एडवेंचर प्राईवेट मिलिटेड टुअर एण्ड ट्रेवल्स ऐजेन्सी ऑफिस व 33 फस्ट फ्लोर विनायक कॉम्पलेक्स दुर्गा नर्सरी रोड भूपालपुरा, आलोक अचुमि पुत्र अतोबी अचूमि निवासी लेक व्यू कॉलोनी डीएमसी वार्ड 10 खेम महल पश्चिम दीमापुर नागालेण्ड, जुसवा अलेक्जेण्डर पुत्र जेलिडा ढाकर निवासी मोकिया बी पश्चिम जयन्तिया हिल्स मेघालय, दीपक थापा पुत्र सुनिल कुमार थापा निवासी विष्णुपुर शिलोंग पूर्वी खांसी हिल्स रेली बम्ब मेघालय, रोमियों स्टेन पुत्र अलबिलिंग सदाप निवासी ठागो रोमन उलु कुंची कर्वि अललोग आसाम, शेमलाद रोगरिन पुत्र रेलिना रोगरिन निवासी पोरथव उमडोग लुम्बिनीगिरी स्कूल के पास शिलोंग मेघालय, अनुशा पुत्री हरिनारायण डींगडोग निवासी फोरेस्ट कोलोनी पूर्वी खांसी हिल्स मेघालय और सुरेश पुत्र सिबु बसल नेपाली निवासी नीयर कन्दुमेन स्कूल लोअर पलटन बाजार पूर्वी खांसी हिल्स मेघालय को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से धोखाधड़ी के लिए प्रयोग में लिए जा रहे 4 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 2 वाहन व अन्य एक्सेसरीज जब्त की है। इस गिरोह का मुख्य सरगना शाहरूख मंशुरी है और सभी आरोपी एप पर एक टीएफएन नंबर से विदेशी नागरिकों से सम्पर्क कर उनसे धोखाधडी करते थे। आरापियों से पूछताछ की जा रही है।

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
HINDUJA HOUSING FINANCE
कॉर्पोरेट ऑफिसः167-169, 2nd फ्लोर, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई 600 015.
ब्रांच ऑफिसः 2nd फ्लोर, 212, 213, 214, एवरशाइन टावर, F-1, आम्रपाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान - 302021.
ई-मेलः auction@hindujahousingfinance.com
संपर्क करें: सीआरएम-8209981164; सीएलएम-7976498304, आरआरएम-7891119990, आरएलएम- 9829700491

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के तहत) जबकि अधोहस्ताक्षरी, **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल)** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के तहत, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांक का मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया है। निम्नलिखित उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पढ़े गए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्तियों पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है:

	खाता संख्या एवं उधारकर्ताओं का नाम	भौतिक कब्जा तिथि और राशिः
1	RJ/BLW/BLWR/A000001168 और RJ/BLW/BLWR/A000001727. 1. श्री मूलचंद जैन (उधारकर्ता) 2. श्रीमती अंगूरी देवी (सह-उधारकर्ता) | मांग सूचना तिथि और राशि: 1/7/2023 और राशि 1,5,34,949/- दिनांक 1/7/2023 को | गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण: ग्राम चितंबा पट्टा क्रमांक 48, ग्राम पंचायत चितंबा, पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाड़ा में स्थित संपत्ति का वह भाग जिसका क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट है। जिसकी सीमाएँ- उत्तर: आम रास्ता, दक्षिण: खेमराज का घर, पूर्व: चांदमल का नोहरा, पश्चिम: पुखराज का नोहरा	20/2/2026 और रु. 1534949/- दिनांक 1/7/2023 तक
2	RJ/BLW/BLWR/A000000534 और RJ/BLW/BLWR/A000001785. स्वर्गीय श्री सुवाल लाल दरोगा (उधारकर्ता) के सभी कानूनी उत्तराधिकारी 1. सुश्री सुरजिया दरोगा पुत्री स्वर्गीय श्री सुवाल लाल दरोगा 2. सुश्री अनीता दरोगा पुत्री स्वर्गीय श्री सुवाल लाल दरोगा 3. सुश्री कोमल दरोगा पुत्री स्वर्गीय श्री सुवाल लाल दरोगा | डिमांड नोटिस दिनांक और राशि: 1/11/2023 और रु. 1838728/- 1/11/2023 को | सुरक्षित संपत्ति का विवरण: पट्टा संख्या 22 ग्राम सुरास, ग्राम पंचायत सुरास, पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाड़ा में स्थित संपत्ति का वह भाग, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट है, जिसकी सीमाएँ-उत्तर: 40 फुट चौड़ी पडत आबादी, दक्षिण: 40 फुट चौड़ा रास्ता, पूर्व: 30 फुट चौड़ी पडत आबादी और पश्चिम: 30 फुट चौड़ी सड़क	20/2/2026 और रु. 1838728/- दिनांक 1/11/2023 तक

उधारकर्ता और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन उपरोक्त उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

दिनांक: 25/02/2026 स्थान: राजस्थान एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड